Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. XV, Issue No. 1, April-2018, ISSN 2230-7540

राजभाषा के रूप में हिन्दी

Murti*

Assistant Professor, Janta Girls PG College, Ellenabad, District-Sirsa, Haryana, India

सार – *हिन्दी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितम्बर सन् 1949 को स्वीकार किया गया। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के सम्बन्ध में व्यवस्था की गयी। इसकी स्मृति को ताजा रखने के लिये 14 सितम्बर का दिन प्रतिवर्ष हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्रीय स्तर पर भारत में दूसरी सह राजभाषा अंग्रेजी है।*

धारा 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिन्दी एवं लिपि देवनागरी है। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप (अर्थात 1, 2, 3 आदि) है।

हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है क्योंकि भारत का संविधान में कोई भी भाषा को ऐसा दर्जा नहीं दिया गया था। संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है। परन्तु राज्यसभा के सभापति महोदय या लोकसभा के अध्यक्ष महोदय विशेष परिस्थिति में सदन के किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। {संविधान का अनुच्छेद 120} किन प्रयोजनों के लिए केवल हिंदी का प्रयोग किया जाना है, किन के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग आवश्यक है और किन कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाना है, यह राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 और उनके अंतर्गत समय समय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए निदेशों द्वारा निर्धारित किया गया है।

----------X----------

प्रस्तावनाः-

विश्व में अनेक प्रकार की भाषा के द्वारा वाचन कार्य किया जाता है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी आधिकारिक भाषा है। राष्ट्रभाषा समस्त राष्ट्र या पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है।

भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से प्राणी अपने भावों को दूसरों पर अभिव्यक्त करता है। भाषा ऐसी दैवी शक्ति है, जो मानव को मानवता प्रदान करती है। जिसे वाणी का वरदान प्राप्त होता है, वह ऊँचे से ऊँचे पद पर विराजमान हो सकता है तथा अक्षय कीर्ति का अधिकारी भी बन सकता है और दूसरी तरफ अवांछनीय वाणी मनुष्य के उत्थान के स्थान पर पतन की ओर अग्रसर करती है। जिस भाषा में शासक या शासन का कार्य किया जाता है उसे राजभाषा का दर्जा दिया है। जब भारतीय संविधान सभा में संघ सरकार की राजभाषा निश्चित करने का सवाल खड़ा हुआ तो विशद विचार मंथन के बाद 14 सितम्बर 1949 को हिन्दी को भारत संघ की राजभाषा अंगीकृत किया गया। संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी है। केन्द्रीय स्तर पर भारत में अंग्रेजी को दूसरी सह राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। हिन्दी को भारत की राजभाषा के रूप में अंगीकृत कृपापूर्वक नहीं किया गया अपितु यह उसका अधिकार था। पं. जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में - ‘‘अंग्रेजी निश्चय ही थोपी गई भाषा है, इसने हमारे लिए ज्ञान विज्ञान की खिड़कियां जरूर खोली और हमें बहुत कुछ ज्ञान दिया भी पर इस पर एक ऐसी भाषा होने का लांछन भी है जो हमारी अपनी भाषाओं और हमारी सांस्कृतिक परम्पराओं के ऊपर जम कर बैठ गई है।’’

राजभाषा के रूप में हिन्दीः-

हिन्दी को भारत की राज भाषा के रूप में 14 सितम्बर 1949 को स्वीकृत किया गया। संविधान में अनु0 343 से अनु0 351 तक राजभाषा के बारे जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। प्रतिवर्ष हिन्दी के सम्मान में सभी राष्ट्रवासियों द्वारा हिन्दी दिवस मनाया जाता है। संविधान के अनु0 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी व लिपि के रूप में देवनागरी को प्रतिष्ठित किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वार बताए गए निम्नलिखित लक्षणों पर दृष्टि डाल लेना आवश्यक है जो उन्होंने एक राजभाषा के लिए बताए थे-

www.ignited.in

1) अमलदारों के लिए वह भाषा सरल होनी चाहिए।

2) उस भाषा के द्वारा भारत वर्ष का आपसी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार हो सकना चाहिए।

3) यह जरूरी है कि भारत वर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हो।

4) राष्ट्र के लिए यह भाषा आसान होनी चाहिए।

5) उस भाषा का विचार करते समय किसी क्षणिक या अल्प स्थायी स्थिति पर जोर नहीं देना चाहिए।

इन लक्षणों पर हिन्दी भाषा पूर्णतया खरी उतरती है।

इस शोध पत्र के द्वारा हम हिन्दी के राजभाषा का दर्जा प्राप्त करने के विकास की तरफ ध्यान आकर्षित करके हिन्दी को सर्वोच्च स्थान प्रदान करने वाली सहायक संस्थाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। सविधान के अनुच्छेद 344 में राजभाषा से सम्बन्धित आयोग और संसदीय समिति के बारे में प्रावधान दिया गया है। संविधान के अनु0 344 (1) के तहत राष्ट्रपति 7 जून 1955 ईसवी को राजभाषा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग की सिफारिश की जांच के लिए अनु0 344 (4) के अनुसार एक समिति का गठन किया गया। राजभाषा आयोग के लिए गठित समिति का कर्तव्य होगा कि वह राजभाषा आयोग द्वारा दी गई संस्तृतियों की जांच करें और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दें।

हिन्दी का अन्तर्राष्ट्रीय रूपः-

विश्व की समृद्ध भाषाओं में हिन्दी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। हिन्दी भाषा को अपने विचारों को माध्यम बनाने वाले जनसंख्या के आधार पर चीनी और अंग्रेजी के बाद यह विश्व में तीसरे नम्बर पर है। हिन्दी को विश्व स्तर पर गुंजायमान करने के लिए विश्व हिन्दी सम्मेलन किया जाता है। पहला विश्व हिन्दी सम्मेलन 10 जनवरी से 14 जनवरी 1975 नागपुर (भारत) में आयोजित किया गया।

अब तक 10 विश्व हिन्दी सम्मेलन हो चुके हैं। हिन्दी भाषा में साहित्य का सभी विधाओं - काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्ताज, यात्रा वृतात्न, पत्र साहित्य इत्यादि में साहित्य सृजन हो रहा है। यह साहित्य सर्जन हिन्दी के विकसीत रूप का द्योतक है।

विभिन्न विद्वानों के हिन्दी के बारे मतः-

महात्मा गांधी -

"मेरा यह मत है कि हिन्दी ही हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए।"

डॉ. जाकिर हुसैन -

हिन्दी वह धागा है जो विभिन्न मातृभाषाओं रूपी फूलों को पिरोकर भारत माता के लिए सुन्दर हार का सृजन करेगा।

उद्देश्यः-

प्रस्तुत शोध पत्र में हमारी राष्ट्रभाषा के इतिहास व आधुनिक स्थिति के ऊपर विचार किया गया है। हिन्दी भाषा का हमारे देश तथा विश्व के अन्य देशों में हिन्दी ने जो स्थान प्राप्त किया है वह कुछ ही अन्य भाषाओं ने किया है। हमारे संविधान में भी हिन्दी को सम्मान प्रदान किया गया है। पूरे राष्ट्र को अगर एक सूत्र में पिरोना है तो इसी इसी उद्देश्य से हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में चुना गया।

प्रसिद्ध कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन ने भी लिखा है-

"राष्ट्रीय एकता की कड़ी हिन्दी ही जोड़ सकती है।"

भाषा उस शीशे की खिड़की की तरह है जिससे हम बाहर की दुनिया को देख रहे होते हैं तो हमारा ध्यान शीशे पर नहीं होता है। जब हमारा ध्यान शीशे पर जाता है तब हम समझ पाते हैं कि बाहर का संसार जैसा हमें दिख रहा होता उसमें उस शीशे का कुछ योगदान है।

इस प्रकार स्पष्टतः कहा जा सकता है कि भाषा का अस्तित्व मनुष्य जीवन में अपनी अहम भूमिका निभाती है अर्थात् मनुष्य जीवन का अभिन्न अंग है।

निष्कर्षः-

हिन्दी भाषा विश्व की समृद्ध भाषाओं में गिनी जाने वाली भाषाओं में अपना स्थान रखती है। हिन्दी भाषा का शब्दकोष भी काफी विस्तृत है। विश्व स्तर पर हिन्दी भाषा की गरिमा में वृद्धि करने हेतु हिन्दी सम्मेलन आयोजित किये जाते हैं। हिन्दी भाषा को वैज्ञानिक भाषा का दर्जा प्राप्त है क्योंकि हिन्दी ने एक ध्वनि के लिए एक ही लिपि चिह्न का प्रयोग किया जाता है। इस शोध प्रबन्ध के माध्यम से हिन्दी का विकास व हिन्दी की

www.ignited.in

संवैधानिक स्थिति को समझाया गया है। हिन्दी भाषा प्रत्येक भारतवासी का गौरव है।

संदर्भ सूचीः-

1) हिन्दी शिक्षक मार्गदर्शिका, मिश्रा पब्लिकेशन।

2) डॉ. गणपति चन्द्र-गुप्ता-हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास

3) उपकार लेखक -ओंकार नाथ वर्मा, उपकार प्रकाशन, आगरा-2

4) भाषा विज्ञान - कामता प्रसाद गुरू

5) भाषा विज्ञान – डॉ. भोलानाथ तिवारी

6) भाषा विज्ञान की रूपरेखा – संपादक, डॉ. देवदत्त कौशिक, अनुवादक जोशी. डॉ. देवदत्त कौशिक

7) राजभाषा विविधा – डॉ. माणिक मृगेश

8) हिन्दी भाषा अतीत से आज तक – डॉ. विजय अग्रवाल

9) प्रयोजन मूलक हिन्दी हिन्दी और पत्रकारिता – डॉ. दिनेश प्रसाद सिंह

Corresponding Author

Murti*

Assistant Professor, Janta Girls PG College, Ellenabad, District-Sirsa, Haryana, India